

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: -प.3(1201)नविवि/3/2012 पार्ट

जयपुर, दिनांक:

17 JUN 2019

आदेश

राजस्थान नगर सुधार न्यास (नगरीय भूमि निष्पादा) नियम, 1974 के अन्तर्गत प्राधिकरण/न्यास द्वारा आर्गटित/नीलामी में विक्रय किये भूखण्डों पर निर्धारित समयावधि में निर्माण नहीं होने पर आवंटन निरस्त होने का प्रावधान है। विभागीय आदेश क्रमांक प.3(1201)नविवि/3/2012 पार्ट दिनांक 17.09.2018 द्वारा निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं करने पर पुनर्ग्रहण राशि लेकर अपने स्तर पर आवंटन को नियमन करने की कार्यवाही दिनांक 31.12.2018 तक करने हेतु विकास प्राधिकरण/न्यास को अधिकृत किया गया था। यह अवधि समाप्त हो चुकी है। राज्य सरकार के सक्षम स्तर से लिये गये निर्णयानुसार पुनर्ग्रहण राशि लेकर निर्माण अवधि दिनांक 31.12.2019 तक बढ़ाये जाने हेतु विकास प्राधिकरण/न्यास को अधिकृत किया जाता है।

भवदीय,

५०

(इदेश कुमार शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
6. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
8. संयुक्त शासन सचिव/प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
9. मुख्य नगर नियोजक/मुख्य नगर नियोजक (एन.सी.आर.) राज. सरकार।
10. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त), राजस्थान।
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय